For upload in [illegible] 30.05.202[illegible]

भारत सरकार / Government of India

राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन

NATIONAL ATLAS & THEMATIC MAPPING ORGANISATION

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय / Ministry of Science & Technology

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग / Department of Science & Technology

Telephone : (033) 2334-5460 [illegible]

[illegible]

ई-मेल / E-mail : [illegible]@natmo.gov.in

राष्ट्रीय एटलस भवन
35-जी एन. ब्लॉक, सॉल्ट लेक
कोलकाता- 700091
Rashtriya Atlas Bhavan
35-GN Block, Salt Lake
Kolkata- 700091

फाइल सं : E-008300002(Cnfd)/1/2024-Confd. Sec /103 दिनांक : 11/03/2025

कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति का गठन-संबंधी।

Subject: Constitution of Internal Complaints Committee under "The Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act 2013-reg.

पूर्ववर्ती प्रासंगिक आदेश/आदेशों के अधिक्रमण में तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिनांक 11 फरवरी, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19-8/2014/WW के अनुसरण में, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 के प्रावधान 4 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का पुनर्गठन किया जाता है, जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं-

In supersession of earlier relevant Order/s and in pursuant to Ministry of Woman & Child Development's OM No. 19-8/2014/WW dated 11th February, 2015, the Internal Complaints Committee (ICC) under the provision 4 of Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act, 2013 is reconstituted with the following members-

क्र सं/S.N	नाम एवं पदनाम/Name and Designation	समिति में पदनाम/Designation in Committee	संपर्क विवरण/Contact Details
1	श्रीमती अंजलि शर्मा, सहायक निदेशक/ (ओएल) Smt. Anjali Sharma, Assistant Director (OL	पीठासीन अधिकारी/ Presiding Officer	M. 9433418087 Email- anjali.sharma82 @gov.in
2	श्रीमती रीता चौधरी, वैज्ञानिक अधिकारी/ Smt. Rita Chowdhary, Scientific officer	आंतरिक सदस्य/ Internal Member	M.7980418138 Email- rita@natmo.gov.in

3	श्री नवदीप सिंह, अनुसंधान सहायक/ Shri Navdeep Singh, Research Assistant	सदस्य सचिव/ Member Secretary	M. 9465615552 Email – Singh.navdeep88 @natmo.gov.in
4	श्रीमती तनीषा सिन्हा, उच्च प्रभागीय लिपिक/ Smt. Tanisha Sinha, Upper Divisional Clerk	आंतरिक सदस्य/ Internal Member	M.6290515734 Email - tanishasinha@ natmo.gov.in
5	बहन चंद्रा बिस्वास (ब्रह्म कुमारी, कोलकाता)/ Sister Chandra Biswas (Brahma Kumaris, Kolkata)	मुख्य बाह्य सदस्य के रूप में /as Principal External Member	M . 9831288059 Email – chandrabiswas108 @gmail.com
6	बहन माधुरी चटर्जी(ब्रह्म कुमारी, कोलकाता)/ Sister Madhuri Chatterjee (Brahma Kumaris, Kolkata)	वैकल्पिक बाह्य सदस्य रूप में /as Alternative External Member	M. 8617222216 Email – bkmadhuri63 @gmail.com

1. आंतरिक शिकायत समिति के पीठासीन अधिकारी और सदस्य नोटिस जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे (बाहरी सदस्यों को छोड़कर)। The Presiding Officer and member of the ICC shall hold office for a period of three years from the date of issue of the notice (except for external Members)
2. पीड़ित महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आईसीसी को लिखित रूप में कर सकती है। An aggrieved women employee may make in writing a complaint of sexual harassment at workplace, to the ICC within a period of three months from the date of the incident as per the provisions laid down in the SHWW (PPR) Act, 2013.
3. **आंतरिक शिकायत समिति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम 2013 में निर्धारित प्रावधानों और प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सभी शिकायतों से सख्ती से निपटेगी।** The Internal Complaints committee shall deal with all such complaints strictly as per the provisions and procedure laid down in the SHWW (PPR) Act, 2013 and SHWW (PPR) Rules 2013.
4. आंतरिक शिकायत समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। The ICC shall also prepare an Annual Report of the complaints and actions taken by them in each calendar year and submit an annual report to the appropriate authority as per Section 21 of the SHWW (PPR) Act, 2013.
5. बाह्य सदस्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 में समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही और यात्रा लागत के लिए शुल्क के हकदार होंगे। The external Member shall be entitled to the fee for the proceedings and travel cost as per the provisions in SHWW (PPR) Rules, 2013, as amended from time to time.
6. यात्रा भत्ता / मंहगाई भत्ता - बाह्य सदस्य (गैर-सरकारी) को वित्त मंत्रालय के दिनांक 14-09-

2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19047/1/2016-ई.IV के तहत यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा।TA/DA – External member (Non-Official) shall be paid TA/DA as provided under MOF OM No. 19047/1/2016-E.IV dated 14-09-2017.

7. इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 04-11-2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या DOPT-1667566576557 के तहत जारी समेकित दिशा-निर्देश संदर्भ के लिए संलग्न हैं। Consolidated guidelines issued by DoPT vide O.M No. DOPT-1667566576557 dated 04-11-2024 in this regard is attached herewith for reference.
8. इसके अलावा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02-02-2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/2014-स्था.ए-III के अनुसरण में, यह सलाह दी जाती है कि समिति के सदस्य तिमाही में एक बार मिलें, भले ही कोई लाइव केस न हो, और विशाखा दिशा-निर्देश की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयारियों की समीक्षा करें। Further, In pursuance of DoPT O.M. No. 11013/2/2014-Estt.A-III dated 02-02-2015, it is advisable that the committee members meet once a quarter, even if there is no live case, and review preparedness to fulfil all requirements of the Vishakha Judgement.

उपर्युक्त समिति कार्यालय द्वारा प्राप्त शिकायतों पर ध्यान देगी और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निवारण करने की व्यवस्था करेगी।

The above committee will take note of the complaints received by the Office and arrange to redress them per the laid-down procedure.

Digitally Signed by Dr. Binod Kumar Singh डॉ बिनोद कुमार सिंह
Date: 11-03-2025 13:48:18
Reason: Approved

(डॉ. बिनोद कुमार सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ /Copy for information :

1. सचिव, भारत सरकार, डीएसटी/ The Secretary to the Govt. of India, DST (ध्यानाकर्षण : श्री दिनेश चंद्र, अवर सचिव)/ (Kind Attn: Shri Dinesh Chander, US)- -सादर सूचनार्थ/ for kind information please
2. संबंधित व्यक्ति (उचित माध्यम द्वारा)/ Person concerned (through proper channel)
3. कार्यालय अध्यक्ष / Head of office
4. निदेशक के निजी सचिव /PS to the Director
5. सभी प्रभाग/अनुभाग प्रभारी अधिकारी – सूचनार्थ एवं परिचालनार्थ
6. श्री सुमन घोष (ई-मेल के माध्यम से परिचालनार्थ / Shri Suman Ghosh (Circulation through e-mail)

7. नैटमो वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/ NATMO Website for uploading

8. कार्यालय प्रति/ Office Copy

9. गार्ड फाइल /Guard File